



ग्लोबल एन्वायरनमेंट फ़ैसलिटी

हाल ही में ब्राज़ील में आयोजित 64वीं ग्लोबल एन्वायरनमेंट फ़ैसलिटी (GEF) परिषद की बैठक में शासी निकाय ने जलवायु, जैवविविधता और प्रदूषण की समस्या से निपटने के प्रयासों में तेज़ी लाने के लिये 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संवितरण को मंजूरी दी है।


- यह GEF-8 फंडिंग अवधि (2022 और 2026 तक चलने वाला) की दूसरी कार्य योजना है।

बैठक के प्रमुख बंदि:

- वैश्विक जैवविविधता फ़रेमवर्क फंड:
 - शासी निकाय ने [कुनमिगि-मॉन्टरयिल वैश्विक जैवविविधता फ़रेमवर्क](#) के कार्यान्वयन को वित्तपोषित करने के लिये एक नए फंड, [ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ़रेमवर्क फंड \(GBFF\)](#) की स्थापना को मंजूरी दे दी है।
 - यह नधि महत्त्वपूर्ण है क्योंकि GEF-8 अवधि के दौरान लगभग 50% संसाधन जैवविविधता से संबंधित कार्यों के लिये आवंटित किये जाएंगे।
- नधि आवंटन:
 - यह नधि 20% स्वदेशी लोगों एवं स्थानीय समुदायों (IPLC) को, 25% GEF एजेंसियों को, 36% SIDS (छोटे विकासशील द्वीपीय देश) को तथा 3% LDC (अल्प विकासित देशों) को आवंटित की जाएगी।
 - IPLC के लिये आवंटन की समीक्षा अगस्त में अनुसमर्थन के दो वर्ष बाद की जाएगी जबकि SIDS और LDC के लिये आवंटन की समीक्षा अनुसमर्थन के तीन वर्ष बाद की जाएगी।

ग्लोबल एन्वायरनमेंट फ़ैसलिटी (GEF):

- वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility- GEF) की स्थापना वर्ष 1992 के रियो अर्थ समिति से एक दिन पहले की गई थी।
- यह एक प्रकार की नधि है जो जैवविविधता के नुकसान, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और भूमि एवं महासागर स्वास्थ्य के क्षरण का सामना करने के लिये समर्पित है।
- इसकी एक अद्वितीय शासकीय संरचना है जिसमें एक वधानसभा, परिषद, सचिवालय, 18 एजेंसियाँ, एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाहकार पैनल तथा मूल्यांकन कार्यालय सम्मिलित हैं।
- यह पाँच प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है:
 - [पारा पर मनिामाता अभिसमय](#) (वर्ष 2013 में हस्ताक्षरित और वर्ष 2017 में लागू हुआ)।
 - [स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों \(POP\) पर स्टॉकहोम अभिसमय](#) (वर्ष 2001 में हस्ताक्षरित और वर्ष 2004 में लागू हुआ)।
 - [जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन \(UNCBD\)](#) (वर्ष 1993 में लागू हुआ)।
 - [मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये संयुक्त राष्ट्र अभिसमय \(UNCCD\)](#) (वर्ष 1994 में अपनाया गया)।
 - [जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ़रेमवर्क अभिसमय \(UNFCCC\)](#) (वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित और वर्ष 1994 में लागू हुआ)।



//

- भारत सहित **184 देश** इसके सदस्य हैं ।
- इसका सचवालय वाशगटन, डी.सी. में स्थित है ।
- विश्व बैंक **GEF** के ट्रस्टी के रूप में कार्य करता है, जो GEF ट्रस्ट फंड (दानदाताओं द्वारा योगदान) का प्रबंधन करता है ।

GEF काउंसल:

- GEF के मुख्य शासी निकाय, परिषद में GEF सदस्य देशों के **नरिवाचन क्षेत्रों** (वकिलत देशों से 14, विकासशील देशों से 16 और 2 संक्रमण से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं से) द्वारा **नयुक्त 32 सदस्य शामिल हैं** ।
 - भारत ने बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव के साथ मलिकर GEF की कार्यकारी परिषद में एक स्थायी नरिवाचन क्षेत्र का गठन किया है ।
- परिषद सदस्यों के रोटेशन के बीच की अवधि प्रत्येक नरिवाचन क्षेत्र द्वारा नरिधारित की जाती है ।
- परिषद की वर्ष में दो बार बैठक होती है ।
- परिषद **GEF-वित्तपोषित गतिविधियों के लिये परिचालन नीतियों के साथ कार्यक्रमों का विकास** तथा उनको अपनाने के साथ उनका मूल्यांकन करती है ।
 - यह सर्वसम्मति से नरिणय लेते हुए कार्य योजनाओं (अनुमोदन के लिये प्रस्तुत परियोजनाएँ) की समीक्षा के साथ उनका अनुमोदन भी करती है ।

स्रोत: द हट्टि